संक्षिप्त परिचय

मानव व्यक्तित्त्व का सर्वांगीण विकास, सरल प्रकृति, प्रबन्ध-प्रतिभा का उद्घाटन, समाज की उन्नति, राष्ट्र की सुरक्षा व अभिवृद्धि का नाम शिक्षा है।

शिक्षा, साक्षरता का पर्याय नही है, शिक्षा, केवल उपाधियों का वितरण नहीं है अपितु, वह कर्म-कुशलता और कर्म-क्षमता में वृद्धि का पर्याय है। वह करणीय-अकरणीय का बोध है, चरित्र-बल का सोपान है तथा जीवन जीने की कला का ज्ञान है।

क्षेत्र की जन आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ-साथ छात्र-छात्राओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास के लिए समुचित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 2001 में राजकीय महाविद्यालय लक्सर की स्थापना की गयी।

वर्तमान में राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय लक्सर (हरिद्वार) को श्री देव समुन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल से सम्बद्धता प्राप्त हैं। महाविद्यालय में गत वर्ष सात हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं भूगोल में स्नातक स्तर की कक्षाएं संचालित की जा रही थी।

शासनादेश संख्या 45647 / XXIV-C-2/2022-25(06)2010 दिनांक 27 जून 2022 द्वारा स्नातक स्तर पर संस्कृत तथा गृह विज्ञान विषय स्वीकृत किये गये हैं ।

शासनादेश संख्या 995 / XXIV-C-2/2021 / 11 (06)2021 दिनांक 14 अक्टूबर 2021 के द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी विषयों को संचालित करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है ।

छात्रों के व्यक्तित्त्व-विकास को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण सत्र में शिक्षण कार्य के साथ-साथ संगोष्ठी, परियोजना कार्य, क्षेत्र आधारित गतिविधियाँ, विशिष्ट व्याख्यान, स्मृति व्याख्यान एवं कार्यशाला नियमित रूप से आयोजित किये जाते हैं। महाविद्यालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने के साथ-साथ रोजगारपरक और मूल्यपरक शिक्षा के समन्वय के माध्यम से आजीवन, सकारात्मक, राष्ट्रनिष्ठ एवं रचनात्मक पीढ़ी तैयार करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उत्कृष्ट शिक्षा, बेहतरीन परिणाम और समग्र व्यक्तित्व निर्माण के लक्ष्य के साथ महाविद्यालय परिवार निरन्तर प्रयासरत है। शिक्षा के माध्यम से जीवन निर्माण के इस अभियान में हम छात्र-छात्राओं को नई पीढ़ी और उनके अभिभावकों की सहभागिता का आह्वान करते हैं। आइये, राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय लक्सर के साथ शिक्षा की अखण्ड और विराट यात्रा का हिस्सा बनें।

प्रवेश फार्म भरने संबंधी आवश्यक निर्देश

1. स्नातक एवं स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्राएं प्रवेश फार्म के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां अनिवार्य रूप से क्रमानुसार संलग्न करें -

i. हाईस्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र ।
ii. इंटरमीडिएट अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र।
iii. स्थानांतरण प्रमाण पत्र (प्रवेश के समय मूल प्रति जमा करना अनिवार्य)।
iv. चरित्र प्रमाण पत्र (प्रवेश के समय मूल प्रति जमा करना अनिवार्य)।
v. NCC/ NSS/खेल प्रमाण पत्र अथवा कोई भी अन्य प्रासंगिक प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
vi. आरक्षण श्रेणी - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर जिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने नाम का प्रमाण-पत्र जमा करना होगा। दिव्यांग हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तराखंड का प्रमाण पत्र 3 वर्ष से अधिक पुराना ना हो। साथ ही अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर के अन्तर्गत शामिल न होने संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।

2. व्यक्तिगत/मुक्त पद्धति से उर्त्तीण अभ्यर्थी किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करेंगे (मूल प्रति प्रवेश के समय जमा करना आवश्यक होगा)
3. उत्तराखंड प्रदेश के छात्रों के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के छात्रों को पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र की मूल प्रति लाना भी अनिवार्य होगा।
4. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राएं हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों विषय हेतु अलग-अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। एक विषय से दूसरे विषय में आवेदन पत्र स्थानांतरित करना संभव नहीं होगा ।
5. इस महाविद्यालय में एम0ए0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्राएं श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय को छोड़कर, अन्य विश्वविद्यालय की किसी अर्ह परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) की प्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे। प्रमाण पत्र की मूल प्रति परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना छात्र का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।
6. मेरिट योग्यता सूची में अभ्यर्थी का नाम आने पर अभ्यर्थी को प्रवेश के समय उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं एंटी रैगिंग प्रपत्र के साथ प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होना होगा।

4.अपूर्ण फार्म पर विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

नोट:

- छात्र-छात्राओं को स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र के लिए महाविद्यालय द्वारा अतिरिक्त समय देय नहीं होगा।
- अभ्यर्थी प्रवेश संबंधी सूचनाओं के लिए महाविद्यालय का सूचना पट्ट देखते रहें।

उच्च शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी आवश्यक निर्देश

1. स्नातक प्रथम वर्ष में श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल द्वारा निर्देशित प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार अभ्यर्थियों को योग्यता सूची (मेरिट सूचकांक) के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
2. अंतिम परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अधिभार जोड़कर अंतिम योग्यता सूची बनाकर प्रवेश दिया जाएगा।
3. ऐसे अभ्यर्थी जिनके अर्ह परीक्षा के प्राप्तांक ग्रेड या सी.जी.पी.ए. में है एवं उनके अंक पत्र में प्राप्तांकों को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र उपलब्ध नही है, वे मेरिट निर्धारण हेतु प्राप्ताकों को प्रतिशत में परिवर्तित करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें। अन्यथा इस स्थिति में आवेदन पत्र स्वत: निरस्त समझा जाएगा। सूत्रानुसार अंक प्रवेश आवेदन प्रपत्र में अंकित करें।
4. स्नातक स्तर पर प्रत्येक विषय में अधिकतम 60 सीट एवं परास्नातक स्तर पर 25 सीट निर्धारित की गई है। यह संख्या किसी भी स्थिति में बढ़ाई नहीं जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड की ओर , से यह आदेश है, इसका उल्लंघन दंडनीय है।
5. किसी कक्षा एवं संकाय में अनुर्तीण होने वाले छात्र/छात्राओं को पुन: उसी कक्षा एवं संकाय में प्रवेश नही दिया जायेगा। इस महाविद्यालय से अनुर्त्तीण छात्र/छात्राऐं अथवा ड्रॉप आउट छात्र/छात्राऐं भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है। ड्रॉप आउट से तात्पर्य है कि छात्र/छात्रा द्वारा विधिवत् महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात पूरे सत्र अध्ययन किया हो, परीक्षा आवेदन पत्र भरा हो और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नही हुआ हो ।
6. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर छ: (06) वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर चार (04) वर्ष तक ही संस्थागत विधार्थी के रूप में अध्ययन करने की सुविधा रहेगी जिसमें एक वर्ष का गैप भी सम्मिलित रहेगा।
7. स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश समितियों का गठन किया जाएगा। तत्संबंधी विषयों में प्रवेश के संबंध में उक्त समिति एवं प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा। , प्रवेश समितियों द्वारा आवंटित विषयों में कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। विषय आवंटन में मेधा को वरीयता दी जाएगी। प्रथम प्रवेश सूची में आने वाले आवेदक विषय चयन में स्वत: वरीयता पा जाएंगे।
8. उत्तराखंड प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक कक्षा में 90% स्थान सुरक्षित रहेंगे। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10% स्थानों पर ही प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते वे वरीयता सूची मे अर्ह हों।
9. उत्तराखंड प्रदेश के छात्रों के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के छात्रों को प्रवेश के पूर्व पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र , प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी आवेदन के साथ ही इस प्रक्रिया को पूरा करवाएं, इसके लिए अतिरिक्त समय देय नहीं होगा।
10. ज्ञातव्य है कि दौलतराम एवं अन्य बनाम उत्तराखंड शासन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रत्येक महाविद्यालयों में सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई है। अत: ऐसे में द्वितीय/अन्तिम वर्ष में स्थानांतरण प्रवेश, सीट रिक्त होने की दशा में केवल अभिभावक के सरकारी सेवा में होने पर स्थानांतरण की स्थिति में दिया जा सकता है। प्रवेश फार्म के साथ स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं योगदान की छाया प्रति अवश्य संलग्न करें। यह प्रवेश विषय उपलब्ध होने पर ही दिया जाना संम्भव हो सकेगा।

11. अपूर्ण आवेदन पत्र तथा वांछित प्रमाण पत्रों की प्रतिंयां संलग्न न होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वत: निरस्त समझा जाएंगा। निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नही किया जाएगा।
12. महाविद्यालय द्वारा घोषित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वत: निरस्त समझे जाएंगे।
13. संस्थागत अभ्यर्थी एक ही सत्र में किसी अन्य शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा और ना ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मिलित होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा इसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी।
14. आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी का नवीनतम फोटो (बिना धूप के चश्मे के) निर्धारित स्थान पर चिपकाना अनिवार्य है।
15. जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश स्वीकृत कर दिया जाता है उन्हें महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करना आवश्यक होगा । ऐसा न करने पर स्वीकृत/संस्तुत प्रवेश निरस्त हो जाएगा। प्रवेश शुल्क जमा करने के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क वापस नहीं होगा।
16. प्रवेश के लिए संस्तुत किए गए अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संस्तुति की तिथि से निर्धारित तिथि के अंदर बैंक में शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त कर लें। प्रवेश शुल्क रसीद को प्रॉक्टर को दिखा कर अपना परिचय पत्र अभिप्रमाणित करा लें।
17. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेशार्थियों के आरक्षण की सुविधा उत्तराखंड शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक -2-2001-53(1)/2001 द्वारा निर्धारित नीति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तराखंड शासन उच्च शिक्षा अनुभाग-4 के पत्रांक 1022/XXIV(4)/2019-01(13)/2019 दिनाक- 30 जुलाई 2019 के अनुसार अनुमन्य होगी जो इस प्रकार है - अनुसूचित जाति 19%, अनुसूचित जनजाति 4%,अन्य पिछड़ा वर्ग 14%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%। इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियो एवं सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थियों मे निम्न प्रकार से क्षैतिज (होरिजेन्टल) आरक्षण देय होगा - महिला 30%,भूतपूर्व सैनिक आश्रित 5%,दिव्यांग 4% स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2%

नोट: उक्त आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियो के लिए ही लागू होगा।

18. किसी भी प्रवेशार्थी का आवेदन पत्र बिना कारण बताए अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार महाविद्यालय ,को है। किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने या किसी भी आवश्यक तथ्य को छिपाने की जानकारी प्राप्त होने पर उसका प्रवेश अस्वीकृत/निरस्त कर दिया जाएगा।
19. जिन अभ्यर्थियों की गतिविधियां अनुशासन मंडल या प्रशासन की दृष्टि से अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है या उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
20. महाविद्यालय में प्रवेश को लेकर महाविद्यालय प्रशासन पर दबाव बनाने पर अथवा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर दंडित करने का प्रावधान है।
21. कोई भी विद्यार्थी एक सत्र में दो डिग्री/डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का न तो अध्ययन करेंगे और न ही परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे।

22.केवल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश पाने के लिए अर्ह नहीं होंगे।

23.यदि किसी अभ्यर्थी ने आरक्षित श्रेणी हेतु आवेदन किया है और अपने आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है तो उसे सामान्य श्रेणी में ही माना जायेगा।

24.किसी भी अभ्यर्थी को संकाय अथवा विषय बदल कर पुन: उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसकी परीक्षा अभ्यर्थी एक बार उत्तीर्ण कर चुका/चुकी हो अर्थात एक संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् पुन: उसी कक्षा या इसके समकक्ष दूसरे संकाय की किसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उदहारण के लिए यदि किसी छात्र ने एम.ए. हिंदी उत्तीर्ण कर लिया हो तो उसे कला संकाय के किसी भी विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और न ही वह किसी अन्य संकाय की समकक्ष कक्षा में प्रवेश ले सकता है।

25.किसी भी विद्यार्थी को किसी कक्षा में दो वर्ष से अधिक गैप के पश्चात् प्रवेश नहीं दिया जायेगा. यदि अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के पश्चात् किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो और उसकी परीक्षा भी दी हो तो उस अवधि को गैप नहीं माना जायेगा. ऐसे अभ्यर्थी को भी स्नातक 6 वर्ष तथा स्नातकोत्तर 4 वर्षों में उत्तीर्ण करना होगा। उक्त अवधि सुनिश्चित करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा.।

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश तथा योग्यता निर्धारण

1. कक्षाएं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार वार्षिक अथवा सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर संचालित की जाएगी।
2. महाविद्यालय द्वारा घोषित कार्यक्रम व अंतिम तिथि तक निर्धारित सीटों के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा।
3. स्नातक स्तर पर प्रवेश मेरिट सूची के आधार पर दिए जाएंगे।
4. इंटरमीडिएट/समकक्ष अर्ह परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर निम्नप्रकार से अतिरिक्त अंक आवंटित कर अंतिम योग्यता सूची बनाकर प्रवेश दिया जाएगा–

(a) राज्य स्तर/राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल कूद प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र/छात्राओं को क्रमश: 05 तथा 07 अतिरिक्त अंक देय होंगे।

(b) एन.सी.सी. बी प्रमाण पत्र धारक को 2 अंक, सी प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा गणतंत्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) को 5 अंक, (अधिकतम 5 अंक) अतिरिक्त देय होंगे।

(c) राष्ट्रीय सेवा योजना ए, बी प्रमाण पत्र धारक या 240 घण्टे + दो विशेष शिविरों में प्रतिभाग करने वाले छात्र/छात्राओं को 2 अंक, सी प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/गणतंत्र दिवस परेड को 5 अंक (अधिकतम 5 अंक) अतिरिक्त देय होंगे।

(d) स्काउट में पद सोपान–1 धारक को 1 अंक तथा पद सोपान–3 धारक को 2 अंक अतिरिक्त देय होंगे। निपुण धारक को 1 अंक, राज्य पुरस्कार धारक को 3 अंक देय होंगे (अधिकतम 5 अंक देय होंगे)।

(e) सेना में कार्यरत सैनिकों एवं केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीनस्थ अर्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री, पौत्र–पौत्री) को 3 अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा। यह अंक न्यूनतम अर्हता अंक अर्थात सामान्य/ओबीसी हेतू 40% प्राप्तांक एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 35% प्राप्तांक के बाद ही मान्य होंगा

उपरोक्त अतिरिक्त वरीयता अंकों में से अधिकतम 15 अतिरिक्त अंक देय होंगे।

5. राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट (10+2) 5 विषयों सहित उत्तीर्ण छात्र/छात्रा स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह है।
6. कुलसचिव गढ़वाल वि.वविद्यालय के पत्रांक ग.वि.वि./परीक्षा/2008 दिनांक 03.5.2008 के अनुसार माननीय उच्चन्यायालय उत्तराखंड ने अपने आदेश दिनांक 23.01.2008 में गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन से पंडित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष नहीं माना है। अतः ऐसे छात्र/छात्राओं को श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय की किसी भी कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा मान्य इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा के बोर्ड के आवेदक ही मेधा सूची हेतु चयन किए जाएंगे।
7. इंटरमीडिएट के पश्चात गैप वाले अभ्यर्थी के लिए प्राप्त कुल प्रतिशत में से 5% अंक प्रति वर्ष के हिसाब से घट्य दिए जाएंगे। 02 वर्ष से अधिक गैप के पश्चात प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
8. यदि अभ्यर्थी ने इंटरमीडिएट के पश्चात किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो और उसकी परीक्षा भी दी हो तो उस अवधि को गैप नहीं माना जाएगा। उन परीक्षाओं के प्रमाणपत्र प्रवेश फार्म के साथ संलग्न करने अनिवार्य होंगे।
9. आरक्षण का लाभ पाने वाले छात्र/छात्राओं को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उपजिलाधिकारी/जिलाधिकारी एवं दिव्यांगों को मुख्यचिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र प्रवेश फार्म के साथ संलग्न करना होगा। दिव्यांग प्रमाणपत्र में दिव्यांग का प्रतिशत भी अंकित होनी चाहिए। अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र 3 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए

परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु नियम तथा योग्यता क्रम निर्धारण

1. स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है-
   कला संकाय- हिन्दी, अंग्रेजी।
2. एम0ए0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशार्थ न्यूनतम अर्हता श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अथवा यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से **सम्बन्धित विषय** के साथ न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको सहित बी0ए0 परीक्षा उत्तीर्ण है।
3. बी0एस0सी0 एंव बी0कॉम0 में 40 प्रतिशत अकों के साथ उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें किसी भी विषय में एम0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह होगे।
4. बी0ए0 उर्त्तीण अभ्यर्थियों का अन्य शर्ते पूर्ण करने पर एम0ए0 में किसी भी विषय में प्रवेश बी0ए0 के किसी एक विषय के आधार पर होगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अर्हता में 05 प्रतिशत अंक की छूट होगी।
6. एम0ए0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आवेदन करने हेतु स्नातक के समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रतियां एंव अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रतिया सूचकांक निर्धारण करने हेतु प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को भलीभांति आवेदन पत्र को भर कर संबन्धित विभाग/कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है
7. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश मेरिट के आधार पर दिए जायेगे। स्नातक परीक्षा से प्राप्ताकों के आधार पर निम्न प्रकार से अतिरिक्त अंक आवंटित कर योग्यता सूची बना कर प्रवेश दिया जाएगा।

(I) आवेदक ने यदि उसी महाविद्यालय, जिसमें प्रवेश ले रहा हो, से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो पांच अंक एवं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के स्नातक को तीन अंक देय होगें।

(ii) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले आवेदक को पॉच तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले आवेदक को सात अंक देय होगे।

(iii) एन0सी0सी0 के बी, प्रमाण -पत्र धारक को 2 अंक, सी प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक, गणतंत्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) को 5 अंक (अधिकतम 5 अंक) अतिरिक्त देय होंगे।

(iv) राष्ट्रीय सेवा योजना, ए, बी, प्रमाण पत्र धारक या 240 घंटे+दो विशेष शिविरों में प्रतिभाग करने वाले छात्र/छात्राओं को 2 अंक, सी प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/गणतंत्र दिवस परेड को 5 अंक (अधिकतम 5 अंक) अतिरिक्त देय होगे।

(v) सेना में कार्यरत सैनिकों एंव केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीनस्थ अर्द्व सैनिक बलों के आश्रितों (पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, पौत्र-पौत्री) को 3 अंको का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा।

(vi) श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एंव शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों (पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री) एवंम सम्बद्व महाविद्यालयों के नियमित शिक्षकों व कर्मचारियों के आश्रितों (पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री) को उसी महाविद्यालय जिसमें उनके माता-पिता/पति-पत्नी कार्यरत होगे पॉच अंक देय होगें।

नोट- उपरोक्त अतिरिक्त वरीयता अंको में से अधिकतम 15 अंक ही देय होगें।

8. स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी का किसी भी दशा में अन्य स्नातकोत्तर विषय में पुन: प्रवेश अनुमन्य नही होगा।

9. किसी भी विद्यार्थी को दो वर्ष से अधिक गैप के पश्चात् प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के पश्चात् किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो और उसकी परीक्षा भी दी हो तो उस अवधि को गैप नहीं माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी को भी स्नातकोत्तर 4 वर्षो में उत्तीर्ण करना होगा। उक्त अवधि सुनिश्चित करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

10. गैप वाले अभ्यर्थियों के लिए स्नातक स्तर पर प्राप्त कुल प्रतिशत में से 5% अंक प्रति वर्ष के हिसाब से घटा दिए जाएंगे। 02 वर्ष से अधिक गैप के पश्चात प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

11. प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं में प्रवेश के निमित्त गठित समितियां निर्धारित तिथि के अंदर प्राप्त सभी फार्म पर विचार करेंगी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की वरीयता सूची में नाम आने पर अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि के अंतर्गत प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रवेश समितियां प्रवेश के लिए अर्ह प्रवेश अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेंगी और उपलब्ध स्थानों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए योग्यता अथवा श्रेष्ठता के आधार पर अभ्यर्थियों के नामों की सूची प्राचार्य की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगी। प्राचार्य की स्वीकृति के उपरांत ही प्रवेश अनुमन्य होगा।

महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए आवश्यक निर्देश

1. महाविद्यालय में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है कोई भी महिला कार्मिक अथवा छात्र किसी भी अभद्र व्यवहार के मामले में प्रकोष्ठ से सहायता प्राप्त कर सकती है। शिकायतकर्ता चाहे तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
2. महाविद्यालय में किसी भी प्रकार का धूम्रपान करना एवं पान मसाला व तम्बाकू का सेवन निषेध है। इसका सेवन करते समय पाए जाने पर अर्थदंड वसूला जा सकता है। संबंधित के विरुद्ध निष्कासन की कार्यवाही भी की जा सकती है।
3. महाविद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं द्वारा मोबाइल का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
4. महाविद्यालय की किसी भी सामग्री जैसे- पुस्तक, प्रयोगशाला की सामग्री,कम्प्यूटर, फर्नीचर आदि को हानि पहुंचाने पर अर्थदंड का प्रावधान है तथा कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
5. क्रीडा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के समय तात्कालिक नियम बनाए जाते हैं, उनका अनुपालन अनिवार्य है। परीक्षा के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के सभी नियम लागू होगे।
6. सभी छात्र/छात्राएं महाविद्यालय से प्राप्त परिचय पत्र अपने साथ रखेंगे। परिसर में इसे कभी भी दिखाने का आदेश दिया जा सकता है।
7. शिक्षकों एवं कार्मिकों के प्रति छात्र-छात्राओं का व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए। अभद्र व्यवहार की स्थिति में तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
8. प्रवेश के पश्चात किसी भी अनियमितता या अनुशासनहीनता पाए जाने की स्थिति पर प्रवेश तत्काल निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित होगा।

उपस्थिति नियम

माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 164(PIL) / 2013 दौलतराम सेमवाल एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड शासन में पारित निर्णय के तत्वाधान में, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक डिग्री सेवा/12301-390 /2014-15 दिनांक 26 नवम्बर 2014 में निर्देशित छात्र/छात्राओं हेतु विशेष अनुदेश-

1.छात्र/छात्राओं की कक्षाओं में उपस्थिति अनिवार्य रूप से 75 प्रतिशत होनी चाहिए।
2.75 प्रतिशत उपस्थिति विषयवार एवं कुल उपस्थिति, दोनों ही सन्दर्भ में सुनिश्चित की जाएगी।
3.74.9 प्रतिशत को 75 प्रतिशत स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4.छात्र/छात्राओं की 75% उपस्थिति पर ही परीक्षा फार्म अग्रसारित किया जायेगा। कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं के ऑन लाईन परीक्षा फार्म की प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं की जाएगी।
5.छात्र/छात्राओं की उपस्थिति का साप्ताहिक ब्यौरा निदेशालय एवं विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाएगा।
6.75% से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्रा किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति/निर्धन कोष सहायता इत्यादि हेतु अर्ह नहीं होंगे।
7.75% से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्रा छात्र संघ के किसी भी पद के प्रत्याशी के रूप में अर्ह नहीं होंगे।
8. निम्नलिखित स्थितियों में पूरे सत्र में से किसी भी व्याख्यान आदि में मात्र 15 प्रतिशत की छूट प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है ।

यदि

(अ) विद्यार्थी की लम्बी बीमारी के कारण कक्षा में उपस्थित न हो पाने पर 15 दिन के अन्दर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण-पत्र दाखिल कर दिया हो ।

(ब) उपर्युक्त के समकक्ष किसी भी अत्यन्त विशेष परिस्थिति में समुचित कारण देने पर ।

विषय चयन :

1. बी०ए० प्रथम वर्ष में महाविद्यालय में नौ विषय उपलब्ध हैं हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास,भूगोल,अर्थशास्त्र समाजशास्त्र, संस्कृत एवंम् गृह विज्ञान। इन विषयों में से अभ्यर्थी द्वारा (03) विषय का चयन करना होगा। आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर चार (04) विषयों का आवेदन करना होगा क्योंकि विषय विभाजन के समय भी विषयवार मेघा/योग्यता सूची बनाई जायेगी।

2. हिन्दी, अंग्रेजी एवम संस्कृत में से कोई दो विषय ही एक साथ देय होंगे। इसी प्रकार इतिहास व भूगोल विषय में से भी कोई एक विषय देय होगा ।

3. भूगोल विषय केवल उन्हीं आवेदकों को देय होगा जिन्होने इण्टरमीडिएट (12वीं) या समकक्ष परीक्षा भूगोल विषय अथवा विज्ञान संवर्ग से उत्तीर्ण की हो। एक बार प्रवेश मिलने पर किसी भी दशा में विषय परिवर्तन करना सम्भव नहीं होगा ।

परीक्षा :

परीक्षायें श्री देव सुमन उत्तरखण्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार आयोजित की जायेगी।

परीक्षा शुल्क :

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी को परीक्षा आवेदन पत्र के साथ ऑन-लाइन जमा करवाना होगा तथा ऑन-लाइन परीक्षा आवेदन पत्र तथा परीक्षा शुल्क की रसीद की एक प्रति महाविद्यालय कार्यालय में जमा भी करनी होगी।

वेशभूषा :

महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए निर्धारित वेशभूषा में आना अनिवार्य होगा।

छात्राओं हेतु	ग्रे कुर्ता, सफेद सलवार तथा सफेद दुपट्टा
छात्रों हेतु	ग्रे पैन्ट तथा सफेद कमीज
	शीतकाल में काला स्वेटर/कोट

परिचय-पत्र :

महाविद्यालय के संस्थागत छात्र/छात्रा को अनिवार्यत: कार्यालय से परिचय-पत्र प्राप्त करना होगा। परिचय-पत्र पर छात्र/छात्रा को अपना नवीनतम फोटो टिकट साइज का लगाकर महाविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर के द्वारा सत्यापित करवाने के पश्चात नियमित रूप से अपने पास रखना अनिवार्य है। किसी भी विद्यार्थी को बिना परिचय-पत्र के महाविद्यालय में आने की अनुमति नहीं होगी। परिचय-पत्र खो जाने की स्थिति में 50/-रु० शुल्क जमा कराने पर ही नया परिचय-पत्र जारी किया जाएगा।

स्थानान्तरण-चरित्र प्रमाण-पत्र :

उक्त प्रमाण-पत्र के लिए विद्यार्थी को निर्धारित प्रपत्र पर प्राचार्य को प्रार्थना-पत्र देना होगा। स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के लिए 5/-रु० शुल्क जमा करना होगा।

व्यक्तित्व विकास एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियाँ

क्रीड़ा परिषद :

छात्र/छात्राओं के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के परिप्रेक्ष्य में पठन-पाठन के साथ-साथ क्रीड़ा गतिविधियों का होना आवश्यक है। प्रत्येक छात्र/छात्रा खिलाड़ी को क्रीड़ा विभाग में अपने खेल-विशेष हेतु पंजीकरण करवाना आवश्यक है । विश्वविद्यालय द्वारा कैलेण्डर जारी हो जाने के बाद महाविद्यालय में चयन तिथियाँ निर्धारित की जाती है । प्रत्येक खिलाडी को अपने खेल विशेष से सम्बन्धित अभ्यास कार्य में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।

वार्षिक समारोह के अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले, पदक प्राप्त छात्र/छात्राओं को सम्मानित किया जाता है ।

सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति :

छात्र-छात्राओं के सांस्कृतिक विकास के लिए वाद-विवाद, निबन्ध प्रतियोगिता, नाटक, कविता,, मेहन्दी, रंगोली तत्क्षण भाषण तथा काव्य-पाठ आदि में सभी को समान अवसर प्रदान किये जाते है । समिति छात्र/छात्राओं में छिपी प्रतिभाओं को उभारने के लिए कृत-संकल्प है । छात्र-छात्राओं की प्रतिभा प्रदर्शन एवं बहुमुखी विकास के लिए यथासम्भव सहायता एवं मार्गदर्शन किया जाता है ।

पुस्तकालय :

महाविद्यालय में समृद्ध पुस्तकालय उपलब्ध है, जो प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुला रहता है । पुस्तकालय में प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती है ।

1. पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने के लिए छात्र-छात्राओं को पुस्तकालय कार्ड बनवाना आवश्यक है ।
2. पुस्तकालय कार्ड प्राप्त करने के लिए प्रवेश प्राप्ति की रसीद तथा परिचय-पत्र पुस्तकालयाध्यक्ष/ पुस्तकालय प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे ।
3. प्रत्येक छात्र-छात्रा एक समय में प्राप्त पुस्तक अधिकतम 15 दिन तक अपने पास रख सकता है ।, तत्पश्चात् 5/- रु. प्रतिदिन की दर से जुर्माना देना होगा । यदि पुस्तक वापसी के दिन अवकाश हो तो आगामी दिवस को निर्धारित वापसी का दिवस माना जाएगा ।
4. पुस्तकालय संदर्भ ग्रन्थ, पत्र-पत्रिकाओं एव समाचार-पत्रों को पुस्तकालय से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है ।
5. पुस्तक खो जाने, फट जाने या विनष्ट हो जाने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।
6. पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा पुस्तक निर्गत करने के लिए अलग-अलग कक्षा के लिए अलग-अलग दिन व समय निर्धारित किया जाएगा । केवल उन्हीं निर्धारित समय व दिन पर पुस्तकों का आदान-प्रदान हो पाएगा

7.परीक्षा प्रवेश-पत्र लेने से पूर्व सभी पुस्तकें वापस कर पुस्तकालयाध्यक्ष से अदेय (नो-ड्यूज) प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य होगा ।

8. पुस्तकालय सम्बन्धी किसी भी मामले में पुस्तकालयाध्यक्ष तथा प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा ।

वाचनालय :

पुस्तकालय में छात्र-छात्राओं के लिये वाचनालय (रीडिंग-रूम) की व्यवस्था की गई है । सभी छात्र-छात्राएं इस व्यवस्था का पालन करेंगे तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने रिक्त वादनों में वाचनालय में बैठकर पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि पढ़कर समय का सदुपयोग करेंगे। वाचनालय में पारस्परिक वार्ता करना पूर्ण रुप से निषेध है ।

प्रयोगशाला :

महाविद्यालय में विषय भूगोल तथा गृह विज्ञान के प्रयोगात्मक कार्य के लिए प्रयोशालायें हैं। जहाँ पर विद्यार्थियों को आवश्यक प्रयोगात्मक कार्य करने की सुविधा प्राप्त है। प्रयोग करते समय छात्र-छात्राओं को उपकरणों तथा अन्य सामान का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। समयानुसार तत्सम्बन्धी प्राध्यापक से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लापरवाही से किये गये कार्य या प्राध्यापक की अनुमति के बिना प्रयोगशाला में प्रवेश दण्डनीय होगा। प्रयोगशाला उपकरणों की हानि के लिए उत्तरदायी छात्र-छात्रा से उपकरण के मूल्य के समान धनराशि वसूल की जायेगी ।

सूचना पट्ट :

महाविद्यालय की विभिन्न सूचनाओं एवं आदेशों को सूचित करने का केन्द्र वेबसाइट व सूचना पट्ट है । विद्यार्थी प्रतिदिन सूचना पट्ट पर अंकित सूचनाओं को अवश्य पढ़ें । वेबसाइट व सूचना पट्ट पर अंकित सूचनाएं ही वैधानिक रूप से मान्य होंगी ।

पार्किंग :

छात्र/छात्राओं के लिए महाविद्यालय में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हैं। सभी छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय पार्किंग में ही दुपहिया वाहन खड़ा करना होगा।

कैरियर काउन्सिलिंग एण्ड प्लेसमेन्ट सैल :

इसमें छात्रों को कैरियर के विषय में चयन, तैयारी ओर नियोजन सम्बन्धी परामर्श दिया जाता है । जिसका उद्देश्य अनिश्चितता तथा भावनात्मक तनावों का निवारण करना है । ताकि, वे सुदृढ़ तथा सशक्त होकर सही निर्णय ले सकें । प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व विकास के परिप्रेक्ष्य में यहाँ प्रति माह विशेषज्ञों के व्याख्यानों का आयोजन भी किया जाता है ।

अनुशासन मण्डल (प्रॉक्टोरियल बोर्ड) :

महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने हेतु एक अनुशासन समिति प्रभावी ढंग से कार्य करती है । यदि कोई विद्यार्थी महाविद्यालय की नियमावली एवं निर्देशों का उललंघन करता है अथवा अवांछित गतिविधियों में सम्मिलित होता है, तो अनुशासन मण्डल द्वारा उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश संख्या-370/04/एस0आई0ए0 दिनांक 26 फरवरी 2009 एवं 17 मार्च 2009 के सन्दर्भ में शासन के पत्र संख्या- 54/xxiv(6) 2009 दिनांक 28 मई 2009 के द्वारा महाविद्यालय में नये छात्र/छात्राओं के साथ किसी भी प्रकार की रैगिंग करना अपराध है एवम पूर्ण रुप से प्रतिबन्धित है। यदि कोई विद्यार्थी रैगिंग करते पाया गया/पाई गई तो उसके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी । दोषी छात्र/छात्रा को न सिर्फ महाविद्यालय से निष्कासित/निलम्बित किया जा सकता है, अपितु उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है ।

IQAC :

राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद (NAAC), बेंगलूर के परिदर्शन के आलोक में, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों में अकादमिक गुणवत्ता तथा तत्सम्बन्धी कौशल के संवर्धन-परिष्करण हेतु महाविद्यालय में आन्तरिक गुणवत्ता विनिश्चयन प्रकोष्ठ (IQAC) गठित किया गया है । यह प्रकोष्ठ प्राचार्य की अध्यक्षता में अपनी नियमित बैठकों में अध्यापन, शोध तथा विस्तार के प्रबन्धन और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करता है एवम उन्नयन हेतु कार्य करता है।

विभागीय परिषद :

महाविद्यालय के सभी विषयों में विभागीय परिषदों का गठन किया जाता है । इसके अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को बौद्धिक विकास के लिए विभिन्न शिक्षणेत्तर कार्यक्रम निबन्ध, क्विज़, सामान्य ज्ञान, वाद-विवाद आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं ।

अभिभावक-शिक्षक संघ :

महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के बहुमुखी विकास हेतु छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए एक संघ का गठन किया जाता है, ताकि, प्रत्येक सत्र में अभिभावकों की अपेक्षा के अनुरूप छात्र-छात्राओं की कैरियर काउंसलिंग की जा सके । संघ का उद्देश्य छात्र-छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) :

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सेवा योजना उदेश्य बनाने के लिए छात्र/छात्राओं को विशेष योग्यता के आधार पर ए, बी तथा सी प्रमाण-पत्र देने का निर्णय लिया है ।

विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई स्वीकृत की गई है । ए, बी एवं सी' प्रमाण-पत्र हेतु नियमांनुसार शिविरों में प्रतिभागिता एवम परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना आवश्यक होगा ।'प्रमाण-पत्र,'बी'एवं'सी'प्रमाण-पत्रों की परीक्षा अनिवार्य होती है ।

रोवर्स एण्ड रेंजर्स :

महाविालय में रोवर्स एवम रेंजर्स की एक-एक इकाई संचालित है । इच्छुक छात्र-छात्राओं द्वारा इसमें नियमानुसार प्रतिभा किया जा सकता है।

महिला उत्पीड़न (निषेध) निवारण समिति :

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय में स्वस्थ परिवेश के निर्माण हेतु एक महिला उत्पीड़न निवारण समिति गठित है, जिसका प्रयत्न ऐसे वातावरण का निर्माण करना है, जिसमें प्रत्येक छात्रा पूर्ण रूप से मानसिक तनाव से मुक्त होकर अध्ययन कर सके । महाविद्यालय परिसर में किसी छात्रा को उत्पीड़न महसूस होने पर वह इस समिति को सूचित कर सकती है ।

एन्टी रैगिंग :

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुरुप महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतया प्रतिबन्धित है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रैगिंग को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है । महाविद्यालय परिसर में रैगिंग की गतिविधियों पर निगरानी एवं रोक लगाने हेतु एन्टी रैगिंग स्क्वॉड का गठन किया गया है ।

प्रवेश के समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रत्येक छात्र-छात्रा को एन्टी रैगिंग शपथ-पत्र ऑन-लाइन भरना अनिवार्य होगा, जिसकी एक प्रति प्रवेश आवेदन पत्र के साथ महाविद्यालय में भी जमा होगी ।

एन्टीरैगिंग शपथ-पत्र हेतु MHRD की वेबसाइट है - www.amanmovement.org अथवा www.antiragging.in

विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों मार्च 2009 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र संख्या-310/04/एस.आई.ए. दिनांक 26 फरवरी 2009 तथा 17 मार्च 2009 को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित प्रावधान किये है-

1. **रैगिंग से सम्बन्धित अभिप्राय है-**

Any disorderly conduct whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any other student, indulging in rowdy or undisciplined activities which causes or is likely to cause embarrassment, annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in a fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform something which such students will not in the ordinary course do or perform and which has the effect of causing or generating a sense of shame or so as to adversely affect the physique or psyche of a fresher or a junior student. any of the above acts committed by any student of the same or junior or senior class shall be deemed to be ragging.

2. रैगिंग से सम्बन्धित दण्डनीय क्रियाकलाप

- ⇨ रैगिंग करने के लिए उकसाना
- ⇨ रैगिंग करने के लिए आपराधिक षडयंत्र
- ⇨ रैगिंग हेतु गैरकानूनी सभा एवं दंगा करना
- ⇨ रैगिंग के दौरान सार्वजनिक उपद्रव करना
- ⇨ रैगिंग के माध्यम से शालीनता एवं नैतिकता का उल्लंघन
- ⇨ रैगिंग से शारीरिक नुकसान एवं गम्भीर चोट
- ⇨ अनुचित रूप से किसी भी प्रयोजन हेतु प्रतिबन्धित करना
- ⇨ अनुचित रूप से बंधक बनाना
- ⇨ आपराधिक बल का प्रयोग करना
- ⇨ आक्रमण अथवा यौन अपराध या अप्राकृतिक अपराध
- ⇨ जबरन वसूली
- ⇨ आपराधिक अतिक्रमण
- ⇨ सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध
- ⇨ आपराधिक रूप से धमकाना
- ⇨ रैगिंग में शामिल उपर्युक्त में से किसी एक अथुवा सभी कृत्यों को करने का प्रयास करना
- ⇨ रैगिंग की परिभाषा में निहित समस्त अपराध

3. दण्ड़ :

संस्था में रैगिंग निरोधक समिति के अभिमत में अपराध की स्थापित प्रक्रति एवं गंभीरता के आधार पर संस्थागत स्तर पर रैगिंग के दोषी पाये गये व्यक्तियों निम्न में से कोई एक अथवा कई दण्ड दिए जा सकते है–

- ⇨ प्रवेश निरस्त किया जाना
- ⇨ कक्षा से निलम्बन
- ⇨ छात्रवृत्ति तथा अन्य लाभ रोके रखना अथवा निरस्त करना
- ⇨ किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना
- ⇨ परीक्षा परिणाम रोकना
- ⇨ किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्था अथवा युवा महोत्सव संस्था का प्रतिनिधित्व करने पर रोक।
- ⇨ निरस्तीकरण
- ⇨ संस्था से एक वर्ष से दो वर्षो तक के लिए निष्कासन
- ⇨ संस्थान से निष्कासन एवं तदोपरान्त अन्य किसी संस्था में प्रवेश से वंचित किया जाना

- ⇨ रु0 25 हजार तक का जुर्माना
- ⇨ जब तक रैगिंग का अपराध करने वाले व्यक्तियों को न पहचाना जाएगा तब तक सम्भावित रैगिंगकर्ताओं पर सामुदायिक दबाव बनाने हेतु संस्था सामूहिक दण्ड का प्रयोग करेगी ।
- ⇨ गम्भीर स्थितियों में भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत कार्यवाही भी सम्भव है ।

छात्रवृत्ति :

महाविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के मूल निवासी विद्यार्थियों को निम्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है-

अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/विकलांग छात्र-छात्राओं को समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है । समय-समय पर शासनादेशों के अनुसार ही उक्त छात्रवृत्तियों का वितरण किया जाता है । इसके लिए विद्यार्थी को निर्धारित आवेदन पत्र पर वाँछित प्रमाण-पत्रों सहित सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करनी पड़ती है ।

छात्रवृत्ति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दु :

1. अभ्यार्थी के कक्षा में 75% से कम की उपस्थिति होने पर उसे किसी भी स्थिति में छात्रवृत्ति देय नहीं होगी तथा 74.99 को 75% नहीं माना जाएगा । उपस्थिति का नियमित विवरण समाज कल्याण विभाग को प्रेषित किया जाएगा ।
2. बी.ए. द्वितीय व तृतीय वर्ष के केवल उन छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देय होगी, जिन्होंने महाविद्यालय में मुख्य परीक्षा न्यूनतम अंकों से पास की हो ।
3. छात्रवृत्ति उन छात्र-छात्राओं को दी जाएगी, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा के अन्दर हो ।
4. आवेदक को छात्रवृत्ति हेतु www.escholarship.uk.in पर आन-लाइन आवेदन करना होगा तथा आवेदन की एक प्रति समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति सहित महाविद्यालय कार्यालय में जमा करनी होगी ।

छात्रवृत्ति आवेदन के साथ जमा किये जाने वाले पत्रजातों का विवरण :

1. आय प्रमाण-पत्र (6 माह से अधिक पुराना न हो)
2. जाति प्रमाण-पत्र (OBC का प्रमाण पत्र 3 वर्षो से अधिक पुराना न हो)
3. मूल निवास प्रमाण-पत्र
4. आधार कार्ड
5. पूर्व कक्षा की अंक तालिका
6. संस्थागत छात्र प्रमाण-पत्र/परिचय-पत्र की छायाप्रति
7. शुल्क रसीद
8. बैंक पासबुक (सी.बी.एस. ब्राँच ही मान्य है)

⇨ बैंक खाता केवल सम्बन्धित छात्र-छात्रा के नाम पर ही होना अनिवार्य है ।

⇨ बैंक पासबुक में IFSC अवश्य अंकित हो ।

नोट : किसी भी छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति प्राप्त होना या न होना पूर्ण रूप से समाज कल्याण विभाग के नियमों के अधीन है । महाविद्यालय, केवल आवेदन पत्र स्वीकार कर समाज कल्याण विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए अग्रसारित करने का कार्य पूर्ण करता है ।

छात्र संघ :

छात्र संघ का गठन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में पारित निर्णय के अनुसार लिंगदोह समिति की सिफारिशों एवं तदसम्बन्धी शासन व विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किए जायेंगे।

शैक्षिक कैलेण्डर :

शैक्षिक कलैण्डर विश्वविद्यालय के निर्देश प्राप्त होने पर पृथक से निर्गत किया जाएगा ।